Hindustan Times 24 / 11/ 2017

Hindustan 24 / 11/ 2017



SEAUTY GE PARLOURS

IRTS Service only Royal dian Foreigners Young e H.Profile female Models Star Hotels all luxury Reice. Sam # 7289071445

PEN Spa Center full Body irs@899/-& Pkg 5 Massaiy young female staff All K2A Lajpat Ngr-2 ND-24 643985201, 9643912401





shahr, U.P. 203001

PUBLIC NOTICES

Notice

C&S Electric Limited [CIN-U31909DL1971PLC005672]

Regd. Office: 222, Okhla Industrial Estate, New Delhi –110 020, Tel: 011-33849000 Fax: 011- 2682 9063

> Email id: info@cselectric.co.in; Website: www.cselectric.co.in

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016 and any amendment thereof ("Rules") all such shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for a period of 7 consecutive years or more shall be transferred to the DEMAT Account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority. Individual notices have been sent to all shareholders whose shares are liable to be so transferred on14/08/2017 and particulars of such shareholders have been uploaded on Company's website https://cselectric.co.in/investor s-relations/

Please be informed that after transfer of the shares to the IEPF DEMAT Account, no claim shall lie against the company though any person, whose shares have been transferred to the Fund would have the right to claim the Shares so transferred from IEPF (Authority) in the manner prescribed in the Rules.

For C&S Electric Limited

Lalit Krishan Khanna Company Secretary

Place: New Delhi Date: 20.11.2017

🌑 सार्वजनिक सूचना

नोटिस

सी एंड एस इलेक्ट्रिक लिमिटेड [CIN-U31909DL1971PLC005672] रचि कार्यालय 222, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110020, फोन: 011-33848000 केसर 011-2882003, फोन: info@coalciric.co.in

वेबसाईट www.cselectric.co.in

कम्पनीज एक्ट, 2013 की बात् 124(6) के प्रावधानों एवं निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई ई पी एफ) ऑथोरिटी (लेखा, अंकेक्षण, हस्तांतरण तथा वापसी) नियम 2016 तथा उसके संशोधनों के अनुसार आप सभी को एतदद्धारा सूचित किया जाता है कि जिन इक्विटी शेयरों पर लामाँश के लिए लगातार सात वर्षों से दावा नहीं किया गया है उन सभी इक्विटी शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आई ई पी एफ) ऑथोरिटी के डीमैट अकाउंट में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। कम्पनी पहले ही उन सभी

ऑथोरिटी के डीमैंट अकाउंट में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। कम्पनी पहले ही उन सभी शेयरधारकों को 14 अगस्त 2017 को उनके रजिस्टर्ड पते पर व्यक्तिगत रुप से नोटिस भेज चुकी है जिनके शेयर आई ई पी एफ के इन नियमों के अनुसार स्थानान्तरित किये जाने है। कम्पनी ने इन सभी शेयरधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट https://cselectric.co.in/investors-relations/ पर भी अपलोड कर

एतदद्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि आई ई पी एफ डीमैट अकाउंट मे शेयर स्थानान्तरित होने के पश्चात कम्पनी के सापेक्ष कोई दावा स्वीकार नही होगा यद्यपि, ऐसे व्यक्ति आई ई पी एफ नियमों के अनुसार आई ई पी एफ (प्राधिकरण) से अपने शेयरों की मांग कर सकते हैं।

> सी एंड एस इलेक्ट्रिक लिमिटेड ललित कृष्ण खन्ना कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 20.11.2017 नहीं कर पा प्रधानमंत्री व पर जल्द व महिलाओं व आजादी मिल सरकारी कि आगाम तलाक को विचार चल

गुरा

डेरा सच्चा स् राम रहीम के बाद जेल में

योजना तैया हिंसा अं इंसां ने पुिल अगस्त की पहले हनीप्री साथ गुप्त बैंद कमेटी की वं निर्णय लिया में कितना ब को जेल में व पंचकूला में। और आरोपी से गिरफ्तार।

कृषि

जागर

नई दिल्ली। गुरुवार की बारे में अधि आवश्यकत कि ताकि के अधिक से अ अंतरराष्ट्र संस्थान द्वारा